



# कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

## प्रेस नोट

दिनांक-24.01.2025

विषय:- “आपरेेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना लोहता में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10000/- रु0 अर्थदण्ड की सजा।

थाना लोहता, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0- 238/2009 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त लालबहादुर शर्मा पुत्र रघुनाथ शर्मा निवासी भट्टी थाना लोहता कमिश्नरेट वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक लोहता व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 24.01.2025 को माननीय न्यायालय स्पे.जज गैंगस्टर एक्ट/ASJ- 13 वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10000/- रु0 के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन  
कमिश्नरेट वाराणसी।